उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–2
संख्या– /63/ XXII(2) / 2015–53(सूचना)2002
दिनांक : 17 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना / प्रकीर्ण

राज्यपाल उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों के लिये पत्रकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता नियमावली 2012 में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है; अर्थात्

नियम 2 का संशोधन– 1. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–2 (क) पत्रकार से उत्तराखण्ड में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार,जैसा कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में परिभाषित है या उत्तराखण्ड राज्य से मान्यता प्राप्त पत्रकार अभिप्रेत है।	2 (क) पत्रकार से उत्तराखण्ड में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, जैसा कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में परिभाषित है या उत्तराखण्ड राज्य से मान्यता प्राप्त पत्रकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे पत्रकार जो मान्यता प्राप्त नहीं है तथा श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा में भी नहीं आते है, तथा सक्रिय पत्रकार है, भी पत्रकार की परिभाषा से अभिप्रेत होंगे।

नियम 4 का संशोधन– 2. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4. संचालन समिति का गठन और उसकी संरचना–पत्रकार कल्याण कोष का संचालन एक समिति द्वारा किया जायेगा,जिसका गठन निम्नवत् किया जायेगाः– **(1) सरकारी सदस्यः–** (क) सूचना मंत्री–अध्यक्ष (ख)राज्य सरकार के सूचना विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव–उपाध्यक्ष (ग)निदेशक / महानिदेशक,सूचना–सदस्य सचिव (घ)सूचना विभाग में तैनात वित्त सेवा का वरिष्ठतम् अधिकारी–कोषाध्यक्ष (ड)अपर निदेशक,सूचना–सदस्य **(2) गैर सरकारी सदस्यः–** (क)उत्तराखण्ड में पंजीकृत भारतीय प्रेस परिषद से मान्यता प्राप्त संगठन का एक–एक सदस्य (ख) उत्तराखण्ड श्रम विभाग से पंजीकृत पत्रकार संगठनों का एक–एक सदस्य।	4. संचालन समिति का गठन और उसकी संरचना–पत्रकार कल्याण कोष का संचालन एक समिति द्वारा किया जायेगा,जिसका गठन निम्नवत् किया जायेगाः– **(1) सरकारी सदस्यः–** (क) सूचना मंत्री–अध्यक्ष (ख) राज्य सरकार के सूचना विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव–उपाध्यक्ष (ग) निदेशक / महानिदेशक,सूचना–सदस्य सचिव (घ) सूचना विभाग में तैनात वित्त सेवा का वरिष्ठतम् अधिकारी–सदस्य (ड)अपर निदेशक,सूचना–सदस्य **(2) गैर सरकारी सदस्यः–** (क) उत्तराखण्ड में पंजीकृत भारतीय प्रेस परिषद से मान्यता प्राप्त संगठन का एक–एक सदस्य (ख) उत्तराखण्ड श्रम विभाग से पंजीकृत पत्रकार संगठनों का एक–एक सदस्य। भारतीय प्रेस परिषद से मान्यता प्राप्त संगठनो से उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत इकाई न होने की स्थिति में केवल उत्तराखण्ड श्रम विभाग से पंजीकृत पत्रकार संगठनों से ही अधिकतम 04 सदस्य को समिति में रखा जायेगा।

नियम 8 का संशोधन– 3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8. वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता– पत्रकार तथा उनके आश्रित इस नियमावली के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगे,यदि– (क) वह भारत का नागरिक हो। (ख) ऐसे पत्रकार,जो किसी विकलांगता/किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण शारीरिक/ मानसिक अक्षमता के कारण पूर्णतः बेरोजगार है और आय का कोई अन्य साधन नही है तथा संबंधित पत्रकार की आयु 60 वर्ष या उससे कम आयु हो। (ग) न्यूनतम 5 वर्ष तक श्रमजीवी अथवा उत्तराखण्ड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार है,आर्थिक सहायता अनुमन्य किए जाने के समय पर सम्बन्धित पत्रकार श्रमजीवी अथवा मान्यता प्राप्त हो तथा वह निरन्तर 5 वर्ष से श्रमजीवी अथवा मान्यता प्राप्त हो। (घ) पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु हो जाए।	**8. वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता**– पत्रकार तथा उनके आश्रित इस नियमावली के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगे,यदि– (क) वह भारत का नागरिक हो। (ख) ऐसे पत्रकार,जो किसी विकलांगता/किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण पूर्णतः बेरोजगार है और आय का कोई अन्य साधन नही है तथा संबंधित पत्रकार की आयु 60 वर्ष या उससे कम आयु हो। (ग) न्यूनतम 5 वर्ष तक श्रमजीवी अथवा उत्तराखण्ड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार है,आर्थिक सहायता अनुमन्य किए जाने के समय पर सम्बन्धित पत्रकार श्रमजीवी अथवा मान्यता प्राप्त हो तथा वह निरन्तर 5 वर्ष से श्रमजीवी अथवा मान्यता प्राप्त हो, अथवा उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे पत्रकार भी जो मान्यता प्राप्त नही है तथा श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा में भी नहीं आते है तथा सक्रिय पत्रकार हो। (घ) पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। (ड) गम्भीर/असाध्य रोग से ग्रस्त पत्रकार के इलाज हेतु।

नियम 12 का संशोधन– 4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
12. वित्तीय सहायता की राशि–इस नियमावली के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की धनराशि रू.2 लाख एकमुश्त तथा जीवनकाल में केवल एक बार (सम्बन्धित पत्रकार अथवा उसके आश्रित परिवार को)ही देय होगी।	12. इस नियमावली के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता निम्नानुसार एकमुश्त तथा जीवनकाल में केवल एक बार (सम्बन्धित पत्रकार अथवा उसके आश्रित परिवार को) ही देय होगी:– (क) पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में संबंधित पत्रकार के आश्रित को अधिकतम धनराशि रू. 05 लाख देय होगी। विशेष परिस्थितियों में कारण उल्लिखित करते हुए इस सीमा को रू.10 लाख तक बढाने हेतु मा.सूचना मंत्री/मा.मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। (ख) पत्रकार के गम्भीर रोग से ग्रस्त होने के कारण उसके इलाज हेतु अधिकतम धनराशि रू. 05 लाख अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो,की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

(विनोद शर्मा)
सचिव।

संख्या– 163 (1)/XXII/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5– आयुक्त कुमाऊँ/गढवाल मण्डल।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
8– निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय, देहरादून।
9– महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10– उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नियमावली का प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित कर नियमावली की 200 प्रतियां सूचना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

16.12.2015

(विनोद शर्मा)
सचिव।